

## कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उर प्रदेश ।  
प्रार्थी सर्वश्री सुपर टाइल्स एण्ड मार्बल प्रा0 लि0, प्लाट नम्बर-सी-30, साइट-सी,  
U.P.S.I.D.C., सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा ।  
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक 014 / 13, 08.04.2013  
प्रार्थी की ओर से श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता ।

### उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री सुपर टाइल्स एण्ड मार्बल प्रा0 लि0, प्लाट नम्बर-सी-30, साइट-सी, U.P.S.I.D.C., सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा द्वारा दिनांक 08.04.2013 को उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न प्रश्न पूछा गया है :-

What is the rate of tax on Interlocking Paver Blocks and Paver Blocks under the UP VAT Act.

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित तर्क दाखिल किये गये । उनके द्वारा कहा गया कि फर्म द्वारा Paver Blocks and Interlocking Paver Blocks का निर्माण करके बिक्री किया जाता है । ये वस्तुएं ब्रिक्स की श्रेणी में आती हैं । कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा M/S H.H. Cement Products Mangalore Vs. Assistant Commissioner Mangalore के वाद में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2011, M/S Vyara Tiles Pvt. Ltd. Surat Vs. State of Gujarat के वाद में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2012 तथा M/S SUPER TILES AND MARBLE PVT LTD Vs. State of Gujarat में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2013 की छाया प्रतियाँ दाखिल करते हुए कहा गया कि इन निर्णयों में Paver Blocks को ब्रिक्स की श्रेणी में माना गया है । कमिश्नर, महाराष्ट्र द्वारा भी अपने आदेश में Paver Blocks को ब्रिक्स की श्रेणी में माना है । यह भी कहा कि सर्वश्री श्रेया टाइल्स एण्ड पेवर्स, 11 शाहनजफ रोड, हजरतगंज, लखनऊ के वाद में धारा-59 के निर्णय दिनांक 24.03.2008 में सीमेन्ट ब्रिक्स को अवर्गीकृत जब माना गया था, तब ब्रिक्स की कोई प्रविष्टि, उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II में नहीं थी, वर्तमान में उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-71 पर ब्रिक्स की प्रविष्टि है । अन्त में प्रस्तुत तर्कों के आधार पर Interlocking Paver Blocks and Paver Blocks को ब्रिक्स के अन्तर्गत, वर्गीकृत मानते हुए निर्णय देने का अनुरोध किया गया ।

3. उपरोक्त संदर्भ में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, नोएडा सम्भाग-ए, नोएडा द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के सीरियल नम्बर-71 पर अंकित ब्रिक्स तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित वस्तुएं पूर्णतः भिन्न हैं, इन दोनों का प्रयोग एवं निर्माण का उद्देश्य, भिन्न है । यह भी कहा गया कि Paver Blocks में मुख्य रूप से सीमेन्ट, बालू और बजरी का प्रयोग किया जाता है । इसका प्रयोग फुटपाथ एवं सड़क के निर्माण में किया जाता है, घर बनाने में प्रयोग नहीं

सर्वश्री सुपर टाइल्स एण्ड मार्बल प्रा0 लि0 / प्रा0 पत्र सं0-014 / 13 / धारा-59 / पृष्ठ-2

होता है और यह ब्रिक्स से पूर्णतः भिन्न है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक निर्णय-कर्नाटक, गुजरात एवं महाराष्ट्र के शिड्यूल में अंकित प्रविष्टियों के सन्दर्भ में है। M/S H.H. Cement Products Mangalore के वाद में कर्नाटक, हाई कोर्ट के समक्ष निम्न प्रविष्टि विचारणीय थी:-

“ All kinds of bricks ” including fly ash bricks; refractory bricks and the like; asphaltic roofing sheet; earthen tiles ”

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि- All kinds of bricks, एक exhaustive प्रविष्टि है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ब्रिक्स सम्मिलित हैं और इसी आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

“ It is made clear that the clarification issued in the circumstances, by the Commissioner at Annexure ‘ A ’ would not be made applicable to the tiles which are in the form of paving bricks and are held to be covered under the exhaustive definition of all kinds of bricks / asphalt tiles. It is directed to collect the tax for the said assessment years only at 4% as provided under entry 2 of Schedule III of the KVAT Act. ”

M/S Vyara Tiles Pvt. Ltd. Surat एवं M/S SUPER TILES AND MARBLE PVT LTD, के मामले में गुजरात ट्रिब्युनल द्वारा दिया गया निर्णय भी गुजरात वैट एक्ट के शिड्यूल-II के क्रमांक-10 पर अंकित प्रविष्टि से सम्बन्धित है, जो निम्न भाँति है :-

|    |  |                         |
|----|--|-------------------------|
| 10 | (i) Bricks of all kinds including fly ash bricks; refractory bricks.<br>(ii) Roofing tiles know as Manglori Nalia. | Four paise in the rupee |
|----|--|-------------------------|

जहाँ तक कमिश्नर, महाराष्ट्र द्वारा जारी आदेश का सम्बन्ध है, यह भी महाराष्ट्र वैट एक्ट की निम्न प्रविष्टि पर आधारित है :-

“ All kinds of bricks including fly ash bricks; refractory bricks and monolithics, asphaltic roofing tiles, earthen tiles roofing tiles ”

उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-71 पर ब्रिक्स की प्रविष्टि निम्न भाँति है :-

“ Bricks including fly ash bricks and fire clay bricks; maurang; ramraj and geru. ”

इस प्रकार उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-71 में, केवल ब्रिक्स शब्द अंकित है, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गुजरात में क्रमशः All kinds of bricks / Bricks of All kind,

**सर्वश्री सुपर टाइल्स एण्ड मार्बल प्रा0 लि0 / प्रा0 पत्र सं0-014 / 13 / धारा-59 / पृष्ठ-3**

शब्द अंकित है। All kinds of bricks, एक exhaustive प्रविष्टि है, उसमें सभी प्रकार के ब्रिक्स आते हैं। जैसा की कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी M/S H.H. Cement Products Mangalore, के सन्दर्भित निर्णय में, यह स्पष्ट कहा है कि जो टाइल्स paving bricks के रूप में प्रयोग होती है वह All kinds of bricks के exhaustive प्रविष्टि में सम्मिलित है। उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 में ब्रिक्स की प्रविष्टि उक्त राज्यों से भिन्न है अतः प्रविष्टि भिन्न होने के कारण यथा-महाराष्ट्र, कर्नाटक व गुजरात के परिप्रेक्ष्य में पारित निर्णय, प्रस्तुत वाद में लागू नहीं होते हैं।

उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 में कहीं भी ब्रिक्स की कोई परिभाषा नहीं दी गयी है। अतः मामले में कामन पारलेन्स टेस्ट पर विचार किया जाना उचित होगा। विभिन्न Dictionary में, ब्रिक्स की जो परिभाषायें दी गयी हैं वह निम्नवत हैं :-

**Collins Dictionary**

a rectangular block of clay mixed with sand and fired in a kiln or baked by the sun, used in building construction

any rectangular block-a brick of ice

**Webster Dictionary**

A block of clay tempered with water, sand, etc., molded into a regular form, usually rectangular, and sun-dried, or burnt in a kiln, or in a heap or stack called a clamp.

Any oblong rectangular mass; as, a brick of maple sugar;

**Oxford Dictionary**

1 a small rectangular block typically made of fired or sun-dried clay, used in building.

a small, rectangular object:a brick of ice cream

उक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि ब्रिक्स सामान्यतः मिट्टी के बने होते हैं तथा इनका आकार आयाताकार होता है। इनका प्रयोग सामान्य रूप से भवन निर्माण हेतु होता है, जबकि प्रार्थी द्वारा बिक्री की जाने वाली वस्तुएं यथा-Interlocking Paver Blocks and Paver Blocks, का प्रयोग भवन निर्माण में नहीं होता है। इनका प्रयोग paving में किया जाता है और कामन पारलेन्स में उक्त वस्तुएं ब्रिक्स के नाम से नहीं जानी जाती हैं। इनका प्रयोग टाइल्स की भाँति होता है। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय के अन्तिम प्रस्तर में Paving Blocks को Tiles ही कहा है। उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति में ब्रिक्स के अन्तर्गत, fly ash bricks and fire clay bricks, को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार Interlocking Paver Blocks and Paver Blocks, न तो कामन पारलेन्स में, और न ही प्रयोग की दृष्टि से, ब्रिक्स की श्रेणी में माने जा सकते हैं। अतः उक्त वस्तुएं उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत न होने के कारण, इन पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति, उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत, 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए।

सर्वश्री सुपर टाइल्स एण्ड मार्बल प्रा0 लि0 / प्रा0 पत्र सं0-014 / 13 / धारा-59 / पृष्ठ-4

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, नोएडा सम्भाग-ए, नोएडा द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गुजरात के परिप्रेक्ष्य में जिन न्यायिक निर्णयों का हवाला दिया गया है, उक्त न्यायिक निर्णय प्रश्नगत मामले में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि उक्त राज्यों के वाणिज्य कर अधिनियम में All kinds of bricks / Bricks of All kind, की प्रविष्टि दी गयी है, जिसके सन्दर्भ में तदनुसार निर्णय पारित किया गया है, जबकि उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-71 पर, Bricks including fly ash bricks and fire clay bricks; maurang; ramraj and geru., की प्रविष्टि है। उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 में ब्रिक्स को परिभाषित नहीं किया गया है। विभिन्न Dictionery में दी गयी परिभाषाओं के अनुसार सामान्य बोल-चाल की भाषा में मिट्टी से बने हुए “ आयाताकार, ” आकार को ब्रिक्स कहा जाता है और इनका प्रयोग भवन निर्माण में होता है, जबकि Interlocking Paver Blocks and Paver Blocks, सीमेन्ट, बालू एवं बजरी से बने होते हैं और इनका प्रयोग भवन निर्माण में न होकर, सड़क, फुटपाथ आदि के निर्माण में होता है। इनको सामान्य बोल-चाल की भाषा में ब्रिक्स नहीं कहा जाता है। अतः कामन पारलेन्स एवं प्रयोग की दृष्टि से उक्त वस्तुएं ब्रिक्स की श्रेणी में नहीं आती हैं और इन पर, अवर्गीकृत वस्तु की भाँति, उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत, 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 29 अगस्त, 2013

ह0 / 29.08.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)  
कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उर प्रदेश, लखनऊ।